मंथली पॉलिसी रिव्यू

अप्रैल 2021

इस अंक की झलकियां

कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की रणनीति की घोषणा (पेज 3)

18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए पात्र होगा। राज्य सरकारें 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदेंगी। अन्य को केंद्र सरकार से मुफ्त में वैक्सीन मिलती रहेगी।

ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रखने के उपाय किए गए (पेज 4)

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ऑक्सीजन के आबंटन के लिए आपूर्ति योजना और मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर जाने वाले वाहनों के लिए सुरक्षा, (ii) गैर मेडिकल उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, और (iii) बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट्स को दोबारा शुरू करना।

कोविड-19 के नियंत्रण के लिए सरकार ने अनिवार्य मेडिकल आपूर्तियों की व्यापार नीति में संशोधन किया (पेज 5)

वैक्सीन, वेंटिलेटर्स, मेडिकल ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों के आयात पर कस्टम्स ड्यूटी और हेल्थ सेस से छूट दी गई है। रेमडेसिविर और उसके इग्रेडियंट्स का निर्यात प्रतिबंधित किया गया है और आयात पर कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी गई है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एडवाइजरी जारी की गई (पेज 2)

एडवाइजरी में निम्नलिखित का सुझाव दिया गया है: (i) कंटेनमेंट जोन्स बनाने के लिए प्रमाण आधारित फ्रेमवर्क, (ii) स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों का अनुमान, (iii) अस्पताल में खाली बिस्तरों का ऑनलाइन डिस्प्ले, और (iv) मौतों और डेथ ऑडिट्स का विश्लेषण।

2020-21 की जनवरी-मार्च की तिमाही में रीटेल मुद्रास्फीति 4.9% पर (पेज 8)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में 4.1% से बढ़कर मार्च 2021 में 5.5% हो गई। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में 2.5% से बढ़कर मार्च 2021 में 7.4% हो गई।

रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय (पेज 8)

रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय रहीं। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को बरकरार रखने का फैसला किया।

इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जारी (पेज 10)

अध्यादेश एमएसएमईज़ के लिए प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस को पेश करता है जिसके अंतर्गत देनदार कंपनी का प्रबंधन जारी रख सकता है। इसमें सरकार को न्यूनतम डीफॉल्ट की सीमा को बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग गठित करने वाला अध्यादेश जारी (पेज 12)

आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका हल करने का काम करेगा।

आईएमडी ने 2021 में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा का लंबी अवधि का पूर्वानुमान जारी किया (पेज 11)

जून-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मानसूनी मौसमी वर्षा लंबी अवधि के औसत का 98% अनुमानित है (88 सेंटीमीटर), जिसमें +/- 5% की त्रुटि संभावित है। अगर वर्षा 96%-104% के बीच होती है तो उसे सामान्य माना जाता है।

मई-जून 2021 के लिए एनएफएसए लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न दिए जाएंगे (पेज 6)

3 मई, 2021

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, 2013 के अंतर्गत लाभार्थियों को नियमित अहर्ताओं के अतिरिक्त मई-जून 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 5 किलो गेहूं और चावल मिलेगा। इसकी अनुमानित लागत 26,000 करोड़ रुपए है।

आरबीआई ने लिक्विडिटी और क्रेडिट फ्लो बढ़ाने के उपायों की घोषणा की (पेज 7)

उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) टार्गेड लॉन्ग टर्म रीपर्चेज ऑपरेशंस को सितंबर 2021 तक बढ़ाना, (ii) नए ऋणों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की मदद, और (iii) प्रीपेड भुगतान उत्पादों के लिए अनिवार्य इंटरऑपरेबिलिटी।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन जारी (पेज 19)

ओनर की मृत्यु के बाद नॉमिनी को वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण करने वाला संशोधन अधिसूचित। ड्राफ्ट संशोधनों में आईएन सीरिज़ रजिस्ट्रेशन मार्क, स्पेशल पर्पज वेहिकल की शर्त, और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस का रेगुलेशन प्रस्तावित है।

कोविड-19

30 अप्रैल, 2021 तक भारत में कोविड-19 के 1,87,62,840 पुष्ट मामले थे।[1] इनमें से 1,53,84,418 (82%) मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 2,08,330 (1%) की मृत्यु हुई है।[1] देश और विभिन्न राज्यों में दैनिक मामलों की संख्या के लिए कृपया यहां देखें।

केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और इससे प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने हेतु वित्तीय उपायों की घोषणा की है। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी मुख्य अधिसूचनाओं के विवरण के लिए कृपया यहां देखें। इस संबंध में अप्रैल 2021 में मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं।

कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है।[2] मंत्रालय ने मार्च 2021 में भी ऐसे ही दिशानिर्देश जारी किए थे।[3] दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रस्तावित हैं: (i) कुल टेस्ट्स में आरटी-पीसीआर टेस्ट्स का अनुपात बढ़ाना, (ii) स्वास्थ्यकर्मियों का क्षमता निर्माण करना और संक्रमण रोकने की कार्रवाई करना, और (iii) वैक्सीनेशन की गति बढ़ना।

इस एडवाइजरी की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कंटेनमेंट:** पिछले दिशानिर्देशों में कहा गया था कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन्स को चिन्हित करेगा। कंटेनमेंट जोन्स में सिर्फ अनिवार्य गतिविधियों की अनुमति होगी, जिनका प्रबंधन स्थानीय प्रशासन करेगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि इन क्षेत्रों को निम्नलिखित के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है: (i) पिछले एक हफ्ते में 10% या उससे अधिक की टेस्ट पॉजिटिविटी, और (ii) 60% बेड्स से अधिक की ऑक्यूपेंसी (ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ या इनटेंसिव केयर यूनिट्स में)।
- **पहल**: एडवाइजरी में महामारी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित पहल करने को कहा गया है: (i) रात का कर्फ्यू, (ii) बड़े जमावड़ों पर प्रतिबंध, और (iii) शादी (50 व्यक्ति तक) और दाह संस्कार (20 व्यक्ति तक) में मौजूदगी पर प्रतिबंध। एडवाइजरी में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन और कार्यालयों का संचालन अधिकतम 50% क्षमता के साथ किया जाएगा।
- **स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर**: एडवाइजरी में सुझाव दिया गया है कि एक महीने के मौजूदा और संभावित मामलों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विश्लेषण किया

जाए। होम आइसोलेशन वाले लोगों के मामले में एडवाइजरी में यह सलाह दी गई है कि उनकी नियमित निगरानी और उन्हें कस्टमाइज्ड किट देने की व्यवस्था तैयार की जाए। उसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि वैक्सीनेशन के लिए अतिरिक्त केंद्र बनाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि मौजूदा केंद्रों का अधिकतम उपयोग हो। एडवाइजरी में रैपिड एंटीजन टेस्ट्स के जरिए सभी लक्षण वाले मामलों की टेस्टिंग करने की योजना बनाई जाए। नेगेटिव, लेकिन लक्षण वाले व्यक्तियों का आरटी-पीसीआर के जरिए दोबारा टेस्ट करना चाहिए। उसमें रोजाना जिला स्तर पर मामलों और मौतों का विश्लेषण करने तथा अस्पतालों में सभी मौतों का डेथ ऑडिट करने का भी सुझाव दिया गया है।

- **सामुदायिक संलग्नता**: एडवाइजरी में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं: (i) बड़े पैमाने पर कंटेनमेंट की घोषणा करने से पहले पर्याप्त समय देना, (ii) कोविड-19 के पूर्व संकेतों के संबंध में सार्वजनिक स्तर पर जागरूकता फैलाना और सेल्फ रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना, और (iii) अस्पताल के खाली बेड्स की जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराना और मीडिया के साथ साझा करना।

कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की रणनीति की घोषणा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के चरण तीन के लिए रणनीति की घोषणा की।[4] स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान (चरण एक) को 16 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया था। 1 मार्च, 2021 को 60 वर्ष से अधिक के और विशेष को-मॉरबिड स्थितियों (जैसे हाई सपोर्ट नीड्स वाले या बौद्धिक विकलांगता वाले लोग) वाले 45 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन (चरण दो) को शुरू किया गया।[5,6] 1 अप्रैल, 2021 से 45 वर्ष से अधिक वाले सभी लोगों के लिए इसे शुरू किया गया।[7] वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई, 2021 से शुरू हुआ है। 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं। तीसरे चरण में वैक्सीनेशन की रणनीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता**: स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज़ को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **वैक्सीनेशन की आपूर्ति**: वैक्सीन के मैन्यूफैक्चरर्स को केंद्र सरकार को मैन्यूफैक्चर होने वाली कुल डोज़ की 50% आपूर्ति करना होगा। शेष 50% डोज़ को राज्य सरकारों और खुले बाजार में बेचा जा सकता है। केंद्र सरकार कुछ मानदंडों (जैसे मामलें की संख्या और वैक्सीन की बर्बादी) के आधार पर अपने हिस्से से राज्यों को वैक्सीन देगी। आयातित वैक्सीन के पूरी तरह से खुले बाजार में उपयोग करने की अनुमति होगी।
- **वैक्सीन की कीमत**: वैक्सीन मैन्यूफैक्चरर को 50% डोज़ के लिए एडवांस में कीमत बतानी होगी (1 मई, 2021 से पहले) जिन्हें राज्य सरकारों को, और खुले बाजार में बेचा जाएगा। निम्नलिखित के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार के जरिए मुफ्त में दी जाती रहेगी: (i) स्वास्थ्यकर्मी, (ii) फ्रंटलाइन वर्कर्स, और (iii) 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग।

स्पूतनिक-वी वैक्सीन और विराफिन इंजेक्शन को सीमित आपात उपयोग के लिए मंजूरी मिली

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पूतनिक-वी वैक्सीन और विराफिन इंजेक्शन के सीमित आपात उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है।[8,9]

स्पूतनिक-वी रूस के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी द्वारा विकसित कोविड-19

वैक्सीन है। इस वैक्सीन को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी दो डोज़ को 21 दिनों के अंतराल में लगाया जाएगा।[8]

विराफिन वह इंजेक्शन है जिसे मध्यम लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे जाइडस कैडिला के नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया है।[9,10] नेशनल बायोफार्मा मिशन भारत में बायोफार्मास्यूटिकल विकास को गति देने वाला इंडस्ट्री एकैडमिक कोलैबोरेटिव मिशन है।[11]

कोवैक्सीन की मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुदान

Saket Surya (saket@prsindia.org)

देसी कोविड-19 वैक्सीन के विकास और उत्पादन की रफ्तार बढ़ाने के लिए नवंबर 2020 में कोविड सुरक्षा कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।[12] इस कार्यक्रम के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए वैक्सीन मैन्यूफैक्चरिंग केंद्रों को अनुदान देता है। कोवैक्सीन एक देसी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया है।

कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रत्येक को 65 करोड़ रुपए के अनुदान दिए जाएंगे (i) भारत बायोटेक का बेंगलुरू केंद्र (65 करोड़ रुपए), और (ii) महाराष्ट्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, मुंबई स्थित हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। हैफकिन का केंद्र छह महीने के भीतर काम करने लगेगा और उसकी हर महीने 20 मिलियन डोज़ बनाने की क्षमता होगी।

कुछ अनुदान निम्नलिखित को दिए जाएंगे: (i) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद (आईआईएल), और (ii) बुलंदशहर का भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड, जोकि केंद्र सरकार का उपक्रम है (बीआईबीसीओएल)। सितंबर 2021 तक आईआईएल और बीआईबीसीओएल हर महीने 10-15 मिलियन डोज़ बनाने लगेंगे।[12]

कुल मिलाकर, कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता अप्रैल 2021 में हर महीने एक करोड़ डोज़ से बढ़कार जुलाई तक सात करोड़ डोज़ प्रति माह हो जाएगी। सितंबर 2021 तक हर महीने 10 करोड़ डोज़ करने की योजना है।

ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों की घोषणा

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य फैसले लिए। गृह मंत्रालय ने भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति योजना को जारी किया।[13] राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को इस योजना का पालन करना होगा। योजना में जिला मेजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार बताया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) डेप्यूटी कमीशनर्स और सुपरिंटेंडेंट्स, (ii) सुपरिंटेंडेंट्स, और (iii) सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स। अन्य मुख्य फैसलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **परिवहन**: राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन के मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। योजना में अथॉरिटी को किसी खास जिले को विशेष रूप से आपूर्ति करने से प्रतिबंधित किया गया है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को रोकने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। उसमें कहा गया है कि: (i) ऐसे वाहनों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, और (ii) उनके परिवहन के लिए एक्सक्लूसिव कॉरिडोर्स दिए जाने चाहिए।[14]

  इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट, 1988 के

अंतर्गत ऑक्सीजन लेकर जाने वाले वाहनों को परमिट्स की कुछ शर्तों से छूट दी है।[15] इन शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) गुड्स कैरिएज परमिट, और (ii) वाहन परमिट।[16]

- **औद्योगिक आपूर्ति:** सभी गैर मेडिकल उद्देश्यों (जैसे औद्योगिक उपयोग) के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।[17] कुछ उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) फार्मास्यूटिकल्स, (ii) रक्षा बल, और (iii) ऑक्सीजन सिलिंडर मैन्यूफैक्चरर्स।[18] राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को स्थानीय स्तर पर आबंटन की योजना बनाने के लिए ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स को मैप करना होगा।[19] इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट्स को चालू करने की कार्रवाई करनी चाहिए।[20]
- **आयात**: पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज़ मंत्रालय ने ऑक्सीजन संबंधी कनसाइनमेंट लाने वाले सभी जहाजों को मुख्य बंदरगाहों पर लगने वाले सभी शुल्कों से छूट दी है।[21] मंत्रालय ने इन बंदरगाहों को यह निर्देश दिया है कि वे अगले तीन महीनों के लिए निम्नलिखित प्रकार के कनसाइनमेंट लाने वाले जहाजों को उच्च प्राथमिकता दें, जैसे (i) ऑक्सीजन टैंक और बॉटल्स, (ii) ऑक्सीजन जनरेटर्स और कॉन्सेनट्रेटर्स, और (iii) ऑक्सीजन सिलिंडर बनाने के उपकरण।

कुछ अनिवार्य मेडिकल आपूर्तियों के लिए व्यापार नीति में संशोधन

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कुछ मेडिकल आपूर्तियों की व्यापार नीति में संशोधन किए हैं।[22,23,24] संशोधनों का उद्देश्य घरेलू बाजार में सस्ती कीमत पर इन आपूर्तियों की उपलब्धता को बढ़ाना है। ये संशोधन इस प्रकार हैं:

- **मेडिकल ऑक्सीजन और संबंधित उपकरण**: सरकार ने वेंटिलेटर्स, मेडिकल ऑक्सीन और ऑक्सीजन संबंधी विभिन्न उपकरणों को कस्टम्स ड्यूटी और हेल्थ सेस से छूट दी है। इन उपकरणों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कॉन्सेनट्रेटर्स, (ii) प्लांट्स और जनरेटर्स, (iii) नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन मास्क्स, (iv) फिलिंग सिस्टम्स, (v) सिलिंडर्स, (vi) स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट टैंक्स, और (vii) इन सभी उपकरणों को बनाने में लगने वाला कोई भी पार्ट। इन वस्तुओं के आयात पर छूट जुलाई 2021 तक लागू होगी।
- **कोविड-19 वैक्सीन**: कोविड-19 वैक्सीन के आयात पर जुलाई 2021 तक कस्टम्स ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं वसूला जाएगा।
- **रेमडेसिविर**: सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शंस (कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा) और उसके फॉर्मूलेशन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने उनके आयात पर अक्टूबर 2021 तक कस्टम्स ड्यूटी वसूलने से भी छूट दी है।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में कोविड-19 की रोकथाम पर दिशानिर्देश जारी

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और कार्यालयों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।[25] ये दिशानिर्देश 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेंगे। इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **उपस्थिति**: अंडर सेक्रेटरी के स्तर के बराबर या उससे निचले स्तर के अधिकारियों की शारीरिक मौजूदगी वास्तविक कर्मचारी संख्या के 50% तक सीमित रहेगी। विभाग का सेक्रेटरी या प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति

को रेगुलेट कर सकता है और प्रशासनिक आधार पर अधिक अधिकारियों को कार्यालय आने का निर्देश दे सकता है।

- **अलग-अलग समयावधि**: कार्यालयों में भीड़ कम करने के लिए कर्मचारी अलग-अलग समयावधियों का पालन कर सकते हैं। ये समय होंगे (i) सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे, (ii) सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे, और (iii) सुबह दस बजे से शाम साढ़े छह बजे।
- **छूट**: कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले सभी अधिकारियों को तब तक कार्यालय आने से छूट मिलेगी, जब तक कि कंटेनमेंट जोन डी नोटिफाई नहीं हो जाता। विकलांग कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को कार्यालय आने से छूट दी जा सकती है लेकिन वे लोग घर से काम करते रहेंगे।

हल्के या लक्षण रहित कोविड-19 मरीजों के होम आइसोलेशन पर दिशानिर्देशों में संशोधन

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हल्के या लक्षण रहित मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किए हैं।[26] जुलाई 2020 में इन दिशानिर्देशों में संशोधन किए गए थे।[10] निम्नलिखित के लिए निर्देशों में बदलाव नहीं किया गया है: (i) मरीज, (ii) केयरगिवर्स, (iii) राज्य स्तरीय प्रशासन की भूमिका और (iv) होम आइसोलेशन को खत्म करना। दिशानिर्देशों में मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मेडिकल सलाह**: दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मरीज को मेडिकल सलाह लेनी चाहिए, अगर: (i) सांस लेने में परेशानी है, (ii) कमरे की हवा में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94% से कम रहता है, (iii) छाती में लगातार दर्द या दबाव रहता है, या (iv) मेडिकल कंफ्यूजन है।
- इससे पहले दिशानिर्देशों में कुछ अतिरिक्त लक्षणों पर मेडिकल सलाह देने का निर्देश दिया गया था। जैसे: (i) जुबान का लड़खड़ाना या सीज़र, (ii) पैर या बांह अथवा चेहरे पर कमजोरी आना या सुन्न पड़ना, और (iii) होंठ या चेहरे का नीला पड़ना।[10]
- **होम आइसोलेशन में मरीजों का इलाज:** दिशानिर्देशों में होम आइसोलेशन में हल्के या लक्षण रहित मरीजों के इलाज का ब्यौरा दिया गया है। मरीजों को बुखार, नाक बहने और जुकाम का लक्षण सहित प्रबंधन करना चाहिए। अगर दिन में अधिकतम चार बार 650 मिलीग्राम की पैरासीटामोल से बुखार काबू में नहीं आता तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर मरीज को-मॉरबिड बीमारियों की दवाएं लेते हैं तो फिजिशियन से सलाह लेकर उन्हें जारी रखना चाहिए।

  रेमडेसिविर लेने का फैसला मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा लिया जाना चाहिए। इसे अस्पताल में दिया जाना चाहिए। हल्के लक्षणों में ओरल स्टीरियोएड्स नहीं दिए जाते। अगर सात दिन बाद भी लक्षण जारी रहते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर ओरल स्टीरियोएड्स की हल्की डोज़ दी जा सकती है। ओरल स्टीरियोएड्स इनफ्लेमेटरी स्थितियों के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाओं को कहते हैं।

मई और जून 2021 में एनएफएसए लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न दिए जाएंगे

Saket Surya (saket@prsindia.org)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के सभी लाभार्थियों को मई और जून 2021 के महीनों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा।[27] लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं या चावल मिलेगा। यह एक्ट के अंतर्गत नियमित अहर्ता के अतिरिक्त होगा।

मई और जून के लिए योजना की अनुमानित लागत 26,000 करोड़ रुपए है। पीएमजीकेएवाई को मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी और

लॉकडाउन के मद्देनजर राहत पैकेज के अंग के रूप में शुरू किया गया था।

आरबीआई ने लिक्विडिटी और क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए उपायों की घोषणा की

Saket Surya (saket@prsindia.org)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोविड-19 के कारण वित्तीय तनाव को कम करने के लिए लक्षित क्षेत्रों में लिक्विडिटी और क्रेडिट फ्लो का सहयोग देने के लिए उपायों की घोषणा की:

- अक्टूबर 2020 में आरबीआई ने ऑन टैप टीएलटीआरओ (टार्गेटेड लॉन्ग टर्म रीपर्चेज ऑपरेशंस) योजना की घोषणा की थी जोकि 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध थी।[28] इस योजना को सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया है। योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के लक्षित क्षेत्रों में गतिविधियों को चालू करना है। योजना के अंतर्गत फ्लोटिंग ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए धनराशि उधार ले सकते हैं जोकि रेपो रेट से जुड़ी हुई होगी। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को (i) या तो बॉन्ड्स या दूसरे वित्तीय उत्पादों में निवेश किया जा सकता है, या (ii) कुछ क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों को ऋण के रूप में दिया जा सकता है। इन क्षेत्रों में कृषि, निर्माण, एमएसएमई, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थकेयर शामिल हैं।
- आरबीआई 2021-22 में नए ऋण के लिए कुछ वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट देगा। इन संस्थानों में नाबार्ड (25,000 करोड़ रुपए), नेशनल हाउसिंग बैंक (10,000 करोड़ रुपए), और सिडबी (15,000 करोड़ रुपए) शामिल हैं। अप्रैल-अगस्त 2020 के दौरान नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी और एक्सिम बैंक को लगभग 75,000 करोड़ रुपए की स्पेशल रीफाइनांस फेसिलिटीज़ दी गई थीं।

सबऑर्डिनेट डेट के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया

Saket Surya (saket@prsindia.org)

जून 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने सबऑर्डिनेट डेट के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया था।[29] इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़ में निवेश के लिए प्रमोटर्स को 20,000 करोड़ रुपए मूल्य का गारंटी कवर प्रदान करने की योजना है। मूल नियमों के अनुसार, योजना मार्च 2021 तक लागू थी।[30] अब इसे सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।[30]

योजना के अंतर्गत स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़ (जो 30 अप्रैल, 2020 तक एनपीए हो बन गए हैं) के प्रमोटर्स को उनके स्टेक के 15% के बराबर (इक्विटी जमा डेट) या 75 लाख रुपए तक का क्रेडिट (इनमें से जो भी कम हो) दिया जाता है। प्रमोटर्स लिक्विडिटी बढ़ाने और डेट-इक्विटी अनुपात बहाल रखने के लिए इक्विटी के तौर पर एमएसएमई में इस राशि को डालेंगे। मूल राशि के भुगतान पर सात वर्ष का मोराटोरियम दिया जाएगा। पुनर्भुगतान के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी। योजना को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के जरिए संचालित किया जाता है।

आरबीआई ने बैंकों की लाभांश की घोषणा से संबंधित नियमों में संशोधन किए

Saket Surya (saket@prsindia.org)

अप्रैल 2020 में आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंकों के लाभांश भुगतान पर रोक लगाई थी।[31] आरबीआई ने गौर किया कि कोविड-19 के कारण बढ़ती अनिश्चितता के माहौल में बैंकों को पूंजी संरक्षण करना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था को सहयोग देने तथा घाटा सहने की बैंकों की क्षमता बहाल रहेगी। फिर आरबीआई ने बैंकों को इस बात की अनुमति दी कि वे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लाभों से लाभांश चुकाएं।[32] अब कोविड-19 की दूसरी लहर के

मद्देनजर अनिश्चितता के चलते आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों के लाभांश को लाभांश पे-आउट रेशो के अनुसार निर्धारित राशि के 50% पर सीमित कर दिया है।

घरेलू उड़ानों में ऑन बोर्ड मील से संबधित दिशानिर्देश अपडेटेड

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ान परिचालन के अपडेटेड दिशानिर्देशों को जारी किया है।[33] इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अगर उड़ान की अवधि दो घंटे या उससे अधिक की है, तभी ऑन बोर्ड मील सेवा प्रदान की जा सकती है। पहले ऑन-बोर्ड मील सेवाओं पर कोई सीमा नहीं लागू की गई थी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आस-पास की सीटों पर भोजन अलग-अलग समय पर दिया जा सकता है।

हवाई किराए की सीमा की वैधता और घरेलू उड़ानों की क्षमता सीमा बढ़ाई गई

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

कोविड-19 महामारी के दौरान घरेलू उड़ानों के आंशिक परिचालन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान अवधि के आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया था और मई 2020 में इन क्षेत्रों के न्यूनतम और अधिकतम किराए निर्धारित किए थे।[34] इससे पूर्व किराए की सीमा 30 अप्रैल, 2021 तक वैध थी। मंत्रालयन ने इस किराया सीमा की वैधता 31 मई, 2021 तक बढ़ाई है।[35]

मंत्रालय ने मई 2020 में उड़ान परिचालन की क्षमता भी सीमित की थी।[36] वर्तमान में उड़ान परिचालन की क्षमता समर शेड्यूड्स 2020 के 80% पर सीमित है।[37] मंत्रालय ने इस सीमा की वैधता 31 मई, 2021 तक बढ़ा दी है।[37] समर शेड्यूल 2020 का अर्थ है, 2020 के कुछ महीनों (जैसे मई और जून) में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कुल उड़ानें।

समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

Saket Surya (saket@prsindia.org)

रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय

मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने 2021-22 का पहला द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य जारी किया।[38] एमपीसी के मुख्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) 4% की दर पर बरकरार है।
- रिवर्स रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है) 3.35% पर अपरिवर्तनीय है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) 4.25% पर अपरिवर्तनीय है।
- एमपीसी ने मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को बरकरार रखने का फैसला किया।

2020-21 की जनवरी-मार्च की तिमाही में रीटेल मुद्रास्फीति 4.9% पर

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में 4.1% से बढ़कर मार्च 2021 में 5.5% हो गई (वर्ष दर वर्ष)।[39] सीपीआई रीटेल स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलावों को मापता है। सीपीआई बास्केट में घरेलू स्तर पर आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, ईंधन, कपड़ा, आवास और स्वास्थ्य शामिल होते हैं। इस बास्केट में भोजन और पेय पदार्थों का हिस्सा 46% होता है। खाद्य स्फाति जनवरी 2021 में 2% से बढ़कर मार्च 2021 में 4.9% हो गई (वर्ष दर वर्ष)।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में 2.5% से बढ़कर मार्च 2021 में 7.4% हो गई (वर्ष दर वर्ष)।[40] डब्ल्यूपीआई

लेनदेन के प्रारंभिक चरण में बल्क सेल के लिए वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तनों को मापता है।

रेखाचित्र 1: 2020-21 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां (परिवर्तन का %, वर्ष दर वर्ष)

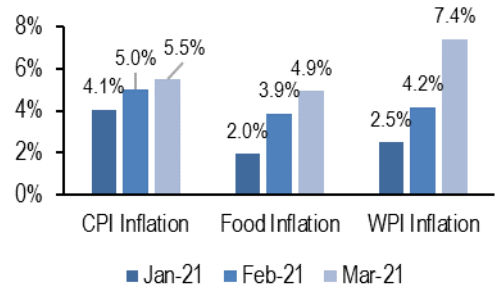

Sources: MOSPI; Ministry of Commerce and Industry; PRS.

वित्त

Saket Surya (saket@prsindia.org)

बीमा कंपनियों के लिए विदेशी निवेश के नियमों में संशोधन करने वाले ड्राफ्ट नियम जारी

वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं।[41,42] नियमों को बीमा एक्ट, 1938 के अंतर्गत जारी किया गया है। ड्राफ्ट नियम बीमा (संशोधन) एक्ट, 2021 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें भारतीय बीमा कंपनी में अधिकतम विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है।[43] प्रस्तावित मुख्य संशोधन इस प्रकार हैं:

- **ऑटोमैटिक रूट से एफडीआई**: 2015 के नियमों में ऑटोमैटिक रूट से कंपनी की अधिकतम 49% पेड-अप इक्विटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।[44] ड्राफ्ट नियम इस सीमा को 49% से 74% करने का प्रयास करते हैं।
- **कंपनी का नियंत्रण**: 2015 के नियमों में प्रावधान है कि भारतीय बीमा कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका स्वामित्व और नियंत्रण हर समय निवासी भारतीय कंपनी के हाथों में बरकरार रहेगा, यानी न्यूनतम 50% इक्विटी कैपिटल पर निवासी भारतीय नागरिकों या भारतीय कंपनियां का स्वामित्व रहेगा। ड्राफ्ट नियम में इस शर्त को हटाने का प्रस्ताव है। इसके स्थान पर इसमें प्रावधान है कि विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनी में निम्नलिखित व्यक्ति निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए: (i) उसके अधिकतर डायरेक्टर्स, (ii) उसके अधिकतर मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी, और (iii) उसके बोर्ड्स के चेयरपर्सन्स या उसके मैनेजिंग डायरेक्टर या उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।

आरबीआई ने एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए कमिटी बनाई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय क्षेत्र के इकोसिस्टम में एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) के कामकाज की समीक्षा के लिए कमिटी का गठन किया (चेयर- सुदर्शन सेन, आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक)।[45] कमिटी में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एआरसीज़ ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जोकि बैंकों के खराब ऋण लेते हैं और उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कमिटी उन उपायों का सुझाव देगी जिनके जरिए एआरसी वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा कर सकें। कमिटी की संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित की समीक्षा शामिल होगी: (i) एआरसी पर लागू मौजूदा कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, (ii) एआरसीज़ के कारोबारी मॉडल्स, और (iii) एआरसीज़ के कामकाज, पारदर्शिता और गवर्नेंस से संबंधित मामले। कमिटी अपनी पहली बैठक के तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। कमिटी ने स्टेकहोल्डर्स से इन पहलुओं पर 31 मई, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[46]

आरबीआई ने राज्यों के लिए वेज़ और मीन्स एडवांसेज़ की सीमा बढ़ाई

आरबीआई ने राज्यों के लिए वेज़ और मीन्स एडवांसेज़ (डब्ल्यूएमए) की सीमा 32,225 करोड़ रुपए (फरवरी 2016 में निर्धारित) से बढ़ाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दी है (46% की वृद्धि)।[47] डब्ल्यूएमए आरबीआई के अल्पावधि के ऋण होते हैं जो वे राज्यों को अपनी निकटस्थ जरूरतों को पूरा करने के लिए देते हैं। इन ऋणों को तीन महीनों में चुकाना होता है।

राज्यों पर कोविड-19 के असर को देखते हुए उनकी डब्ल्यूएमए सीमा को अप्रैल 2020 में अंतरिम अवधि के लिए 51,560 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यह अंतरिम सीमा मार्च 2021 तक लागू थी। अब यह सितंबर 2021 तक लागू होगी।[47]

आरबीआई ने अपने रेगुलेटर्स की समीक्षा करने के लिए अथॉरिटी बनाई

आरबीआई ने अपनी रेगुलेशंस और अनुपालन प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए डेप्यूटी गवर्नर एम. राजेश्वर राव को रेगुलेशंस रीव्यू अथॉरिटी नियुक्त किया है।[48] इसका उद्देश्य रेगुलेशंस को पुनर्गठित करना और उन्हें अधिक प्रभावी बनाना है। यह निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगी: (i) रेगुलेटरी निर्देशों को स्ट्रीमलाइन करना, (ii) प्रक्रियाओं को सरल बनाकर रेगुलेटेड एंटिटीज़ पर अनुपालन के दबाव को कम करना, और (iii) जहां तक संभव हो, रिपोर्टिंग की शर्तों को कम करना। अथॉरिटी 1 मई, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए गठित की गई है।

कॉरपोरेट मामले

Saket Surya (saket@prsindia.org)

आईबीसी (संशोधन) अध्यादेश जारी

इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को 4 अप्रैल, 2021 को जारी किया गया।[49] यह इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 (आईबीसी) में संशोधन करता है। इनसॉल्वेंसी वह स्थिति है, जब व्यक्ति या कंपनियां अपना बकाया ऋण नहीं चुका पाते। अध्यादेश की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन**: संहिता कॉरपोरेट देनदारों की इनसॉल्वेंसी को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है जिसे कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) कहते हैं। अध्यादेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज़) के लिए वैकल्पिक इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया को पेश करता है जिसे प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया (पीआईआरपी) कहा गया है।
- सीआईआरपी देनदार या लेनदार किसी के भी जरिए शुरू की जा सकती है जबकि पीआईआरपी सिर्फ देनदारों के जरिए ही शुरू की जा सकती है। देनदारों के पास पीआईआरपी को शुरू करने से पहले एक बेस रेज़ोल्यूशन प्लान होना चाहिए। रेज़ोल्यूशन प्लान में देनदार की इनसॉल्वेंसी को हल करने का प्रावधान होता है।
- सीआईआरपी के दौरान कंपनी के मामलों का प्रबंधन रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) द्वारा किया जाता है जोकि सीआईआरपी के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके विपरीत पीआईआरपी में देनदार कंपनी का प्रबंधन करता रहता है।
- सीआईआरपी को 330 दिन के भीतर पूरा होना चाहिए, जबकि पीआईआरपी को 120 दिनों के भीतर।
- **पीआईआरपी के लिए डीफॉल्ट की न्यूनतम राशि**: कम से कम एक लाख रुपए का डीफॉल्ट होने की स्थिति में पीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए डीफॉल्ट की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए तक कर सकती है।

- **फाइनांशियल क्रेडिटर्स की मंजूरी**: पीआईआरपी के आवेदन के लिए देनदारों को कम से कम 66% फाइनांशियल क्रेडिटर्स (क्रेडिटर्स पर बकाया ऋण के मूल्य में) की मंजूरी लेनी होगी जोकि देनदार से संबंधित पक्ष न हों। मंजूरी मांगने से पहले देनदार को क्रेडिटर्स को बेस रेज़ोल्यूशन प्लान देना होगा। देनदार को पीआईआरपी के आवेदन के साथ आरपी का नाम भी प्रस्तावित करना होगा। इस आरपी को कम से कम 66% फाइनांशियल क्रेडिटर्स की मंजूरी होनी चाहिए।

अध्यादेश पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

वाणिज्य एवं उद्योग

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

कैबिनेट ने एसी और एलईडी लाइट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने एयर कंडीशनर्स (एसी) और एलईडी लाइट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना को मंजूरी दी।[50,51] योजना बड़े निवेश आकर्षित करने के जरिए इन वस्तुओं की घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य भारत में एक कंपोनेंट इकोसिस्टम तैयार करना है जोकि विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बन सके। योजना के अंतर्गत सरकार भारत में बनने वाली वस्तुओं (जैसे एसी, एलईडी लाइट्स और उनके कंपोनेंट्स) की इनक्रेमेंटल बिक्री पर 4% से 6% इनसेंटिव देगी।

इन वस्तुओं में से किसी भी एक की मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को इनसेंटिव पाने के लिए प्लांट और मशीनरी में न्यूनतम राशि का निवेश करना होगा (जैसा उस वस्तु के लिए निर्दिष्ट किया जाए)। इनसेंटिव उन कंपनियों को दिया जाएगा, जिन्होंने पांच वर्ष की अवधि में उस वस्तु के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर की बिक्री की है। जिन मुख्य कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स या सब एसेंबलीज़ को भारत में पर्याप्त मात्रा में मैन्यूफैक्चर नहीं किया जाता, उन्हें बनाने वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 2021-29 की अवधि के लिए योजना हेतु 6,238 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

स्वास्थ्य

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश जारी

इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को 22 अप्रैल, 2021 को जारी किया गया।[52] यह अध्यादेश इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 में संशोधन करता है।[53] 1970 का एक्ट सेंट्रल काउंसिल के गठन का प्रावधान करता है जोकि भारतीय औषधि प्रणाली (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा सहित) की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है।

सितंबर 2020 में संसद ने इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2020 को पारित किया था जोकि इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेता है।[54,55] बिल 1970 के एक्ट में संशोधन करता है ताकि 2020 के अध्यादेश की अधिसूचना की तारीख (24 अप्रैल, 2020) से एक वर्ष के भीतर सेंट्रल काउंसिल का सुपरसेशन और पुनर्गठन किया जा सके।[54,55] 2021 का अध्यादेश सेंट्रल काउंसिल के पुनर्गठन की समय सीमा को बढ़ाकर दो वर्ष करता है।

अध्यादेश पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

कृषि

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

आईएमडी ने दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा का लंबी अवधि का पूर्वानुमान जारी किया

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 2021 के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा का

लंबी अवधि का पूर्वानुमान जारी किया है।[56] जून-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान मानसूनी मौसमी वर्ष लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 98% अनुमानित है, जिसमें +/- 5% की त्रुटि संभावित है। एलपीए 1961 से 2010 की अवधि के दौरान क्षेत्र में वर्षा का औसत है जोकि देश के लिए 88 सेंटीमीटर है। अगर वर्षा 96%-104% के बीच होती है तो उसे सामान्य माना जाता है।

2020 में मानसूनी वर्षा एलपीए का 100% अनुमानित थी जबकि वास्तविक वर्षा एलपीए की 109% थी।[57] 2019 में यह एलपीए का 110% थी जबकि अनुमान 96% का था।[58]

श्रम एवं रोजगार

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

ओएसएच संहिता के अंतर्गत टेक्निकल कमिटीज़ के गठन के लिए ड्राफ्ट नियम जारी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता, 2020 (ओएसएच संहिता) के अंतर्गत टेक्निकल कमिटीज़ के गठन के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए।[59,60] संहिता 10 या उससे अधिक श्रमिकों वाले इस्टैबलिशमेंट्स और सभी खदानों एवं डॉक्स में स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य स्थितियों को रेगुलेट करती है। ये कमिटीज़ राष्ट्रीय व्यवसायगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य एडवाइजरी बोर्ड के काम में उनकी सहायता करेंगी। इस बोर्ड को केंद्र सरकार को संहिता के अंतर्गत मानदंड, नियम और रेगुलेशंस बनाने में सलाह देने के लिए गठित किया गया है।

ड्राफ्ट नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार संहिता के अंतर्गत मानदंडों, नियमों और रेगुलेशंस की समीक्षा करने और उन्हें तैयार करने के लिए एक या उससे अधिक टेक्निकल कमिटीज़ बनाएगी।[59] टेक्निकल कमिटी में एक पदेन सदस्य होगा और उसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। कमिटी की सदस्यों में (i) इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री, या (ii) फिजिक्स या केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री, या (iii) मेडिकल साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट के साथ एक एमबीबीएस, या (iv) विशिष्ट उद्योग में न्यूनतम 20 वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति शामिल होंगे।

ड्राफ्ट नियमों पर 30 मई, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[59]

एक्सपर्ट कमिटीज़: केंद्र सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियों के मानदंडों पर कुछ मौजूदा नियमों और रेगुलेशंस की समीक्षा के लिए चार एक्सपर्ट कमिटीज़ का गठन किया है।[61] ये नियम और रेगुलेशंस कारखानों, डॉक्स, निर्माण स्थलों और फायर सेफ्टी से संबंधित हैं। इन नियमों और रेगुलेशंस की समीक्षा के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) क्षेत्र में होने वाली प्रगति को शामिल करना, (ii) विश्वव्यापी मानदंडों को पूरा करना, और (iii) तकनीकी प्रगति और व्यवस्थागत सुधारों के कारण बदलती जरूरतों को पूरा करना।

पर्यावरण

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग गठित करने वाला अध्यादेश जारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश, 2021 को जारी किया गया।[62] अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तथा निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका हल करने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती इलाकों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र आते हैं जहां प्रदूषण का कोई स्रोत एनसीआर की वायु गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। अध्यादेश 1998 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अथॉरिटी को भंग करता है। ऐसे ही

एक आयोग वाला अध्यादेश अक्टूबर 2020 में जारी किया गया था जो मार्च 2021 में लैप्स हो गया था। 2021 के अध्यादेश की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कामकाज और शक्तियां:** (i) अध्यादेश के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, (ii) एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम और उसे नियंत्रित करने की योजनाएं बनाना और उन्हें अमल में लाना, और (iii) अनुसंधान और विकास करना। आयोग की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, (ii) वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण की जांच और उन पर अनुसंधान करना और (iii) वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण हेतु संहिताएं और दिशानिर्देश तैयार करना। इसके अतिरिक्त आयोग पराली जलने से होने वाले प्रदूषण पर किसानों से मुआवजा वसूल सकता है। केंद्र सरकार इस पर्यावरणीय मुआवजे को निर्दिष्ट करेगी।
- **संयोजन:** आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: (i) चेयरपर्सन, (ii) मेंबर सेक्रेटरी और चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर के तौर पर संयुक्त सचिव के पद का अधिकारी, (iii) पूर्णकालिक सदस्य के रूप में केंद्र सरकार का मौजूदा या पूर्व संयुक्त सचिव, (iv) स्वतंत्र तकनीकी सदस्यों के रूप में वायु प्रदूषण से संबंधित ज्ञान और विशेषज्ञता वाले तीन सदस्य, और (iv) गैर सरकारी संगठनों से तीन सदस्य।
- **जुर्माना:** अध्यादेश के प्रावधानों या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर पांच वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा की जाएगी।

अध्यादेश पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

एश की उपयोग संबंधी ड्राफ्ट अधिसूचना पर टिप्पणियां आमंत्रित

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एश उपयोग संबंधी ड्राफ्ट अधिसूचना पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[63] अधिसूचना की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **एश का उपयोग**: कोयला या लिग्नाइट आधारित प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट को यह सुनिश्चित करना होगा कि साल में उत्पन्न होने वाली एश (जैसे फ्लाई एश) का कम से कम 80% इको फ्रेंडली उपयोग हो। एश के इको फ्रेंडली उपयोग में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ईंटों का निर्माण और (ii) फ्लाई एश का इस्तेमाल करके सड़कों और बांधों का निर्माण।
- तीन वर्षीय चक्र में एश का औसत उपयोग 100% होना चाहिए। इस चक्र अवधि को (i) थर्मल पावर प्लांट्स के लिए एक वर्ष, जिसमें एश का वार्षिक उपयोग 60-80% हो, (ii) पावर प्लांट्स के लिए दो वर्ष जिसमें एश का वार्षिक उपयोग 60% से कम हो, तक बढ़ाया जा सकता है। अधिसूचना से पहले जमा एश (लीगेसी एश) को अधिसूचना की तारीख से अगले 10 वर्षों में उपयोग करना होगा।
- **एश उपयोग के इको-फ्रेंडली तरीकों की समीक्षा के लिए कमिटी**: एश उपयोग के इको-फ्रेंडली तरीकों की जांच, समीक्षा और उसके संबंध में सुझाव देने के लिए एक कमिटी बनाई जाएगी। इस कमिटी की अध्यक्षता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरपर्सन करेंगे। इसमें निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर शामिल होंगे: (i) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, (ii) कोयला मंत्रालय, और (iii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग।

- **अनुपालन न करने पर जुर्माना**: अगर संबंधित पावर प्लांट्स तीन वर्षीय चक्र के पहले दो वर्षों में कम से कम 80% एश का उपयोग नहीं कर पाते तो उन्हें जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग न होने वाली 1,000 रुपए प्रति टन एश के बराबर होगा। अगर तीसरे वर्ष के अंत तक 100% उपयोग का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा पाता तो उपयोग न होने वाली उतनी एश पर 1,000 रुपए प्रति टन का जुर्माना लगेगा जिस पर पहले जुर्माना नहीं लगाया गया था। इसके अतिरिक्त अधिसूचना में लीगेसी एश के उपयोग न होने पर जुर्माना भी निर्दिष्ट किया गया है।

ड्राफ्ट अधिसूचना पर 21 जून, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

खनन

Saket Surya (saket@prsindia.org)

खनिज पदार्थ का प्रमाण नियमों में संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित

खान मंत्रालय ने ड्राफ्ट खनिज (खनिज पदार्थ का प्रमाण) संशोधन नियम, 2021 को पब्लिक फीडबैक के लिए जारी किया है।[64] ये नियम खनिज (खनिज पदार्थ का प्रमाण) नियम, 2015 में संशोधन करने का प्रयास करते हैं जिन्हें खान और खनिज (विकास एवं रेगुलेशन) एक्ट, 1957 के अंतर्गत जारी किया गया था।[65] 2015 के नियम खनिज पदार्थ के प्रमाण को स्थापित करने के तरीकों को निर्दिष्ट करते हैं। मुख्य प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कोयला और लिग्नाइट की एप्लिकेबिलिटी**: 2015 के नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होते: (i) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, (ii) कोयला, लिग्नाइट और स्टॉइंग के लिए रेत, और (iii) एटॉमिक खनिज। ड्राफ्ट नियम 2015 के नियमों को कोयले और लिग्नाइट पर भी लागू करते हैं।
- **हाल के मानदंडों के आधार पर परिभाषाओं को अपडेट करना:** नियमों में निम्नलिखित को स्पष्ट किया गया है: (i) खनिजों के एक्सप्लोरेशन के चरण, (ii) अध्ययन की व्यावहारिकता के चरण, (iii) आर्थिक स्तर पर व्यावहारिकता को स्थापित करने के चरण, और (iv) खनिज संसाधनों और भंडारों का वर्गीकरण। ये परिभाषाएं निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित हैं: (i) युनाइडेट नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन (यूएनएफसी) वर्जन-1997, और (ii) खनिज भंडार और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स टैंपलेट कमिटी। ड्राफ्ट नियम हालिया यूएनएफसी वर्गीकरण के अनुरूप इन परिभाषाओं को अपडेट करते हैं।
- **कंपोजिट लाइसेंस देना**: ड्राफ्ट नियम एक्सप्लोरेशन के प्रारंभिक चरण में प्रॉस्पेक्टिंग और खनन के कंपोजिट लाइसेंस देने के प्रावधान करने का प्रयास करते हैं। खनिज पदार्थों के एक्सप्लोरेशन में विभिन्न चरण शामिल हैं, जैसे (i) रीकॉनेसेंस सर्वे (अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर अनुमानित ग्रेड के साथ खनिज मात्रा), और (ii) प्रारंभिक एक्सप्लोरेशन (निम्न स्तर के विश्वास सहित अनुमानित ग्रेड के साथ खनिज मात्रा)। 2015 के नियमों के अनुसार, किसी क्षेत्र में जहां प्रारंभिक एक्सप्लोरेशन किया जा चुका है, वहां के लिए कंपोजिट लाइसेंस दिया जा सकता है। ड्राफ्ट नियम इस प्रावधान को बदलते हैं और इसके स्थान पर यह प्रावधान करते हैं कि किसी क्षेत्र के लिए कंपोजिट लाइसेंस दिया जा सकता है, अगर (i) वहां रीकॉनेसेंस सर्वे पूरा हो गया है, या (ii) उपलब्ध भूवैज्ञानिक डेटा के आधार पर किसी ब्लॉक की खनिज क्षमता चिन्हित की गई है, लेकिन संसाधनों को अभी स्थापित किया जाना है।

ड्राफ्ट नियमों पर 14 मई, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

खनिज नीलामी नियमों में संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित

खान मंत्रालय ने ड्राफ्ट खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2021 को पब्लिक फीडबैक के लिए जारी किया।[66] ड्राफ्ट नियम खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन करने का प्रयास करते हैं जिन्हें खान और खनिज (विकास एवं रेगुलेशन) एक्ट, 1957 के अंतर्गत जारी किया गया था।[67] 2015 के नियम खानों की नीलामी की प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करते हैं। प्रस्तावित मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कोई भी खान कैप्टिव यूज के लिए रिजर्व नहीं रखी जाएगी**: 2015 के नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार किसी विशेष एंड यूज के लिए किसी खान की नीलामी को रिजर्व कर सकती है (जैसे स्टील प्लांट्स के लिए लौह अयस्क की खानें)। इन खानों को कैप्टिव खानें कहा जाता है। ड्राफ्ट नियमों में प्रावधान है कि राज्य सरकारें किसी खान को किसी कैप्टिव यूज के लिए रिजर्व नहीं करेंगी।
- **कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री**: 2015 के नियमों के अंतर्गत कैप्टिव खानें खुले बाजार में खनिजों का एक प्रतिशत बेच सकती हैं। किसी वित्तीय वर्ष में खुले बाजार में बेचे जाने वाले खनिजों की मात्रा पिछले वित्तीय वर्ष में उत्खनित कुल खनिजों का अधिकतम 25% हो सकती है।[68] इसके स्थान पर ड्राफ्ट नियमों में यह प्रावधान है कि कैप्टिव खानें उस वर्ष में उत्पादित कुल खनिजों का अधिकतम 50% खुले बाजार में बेच सकती हैं।
- **केंद्र सरकार द्वारा नीलामी**: एक्ट के अंतर्गत राज्य खनिज कनसेशंस की नीलामी कर सकते हैं (कोयला, लिग्नाइट और एटॉमिक खनिजों को छोड़कर)। खनिज कनसेशंस में खनन लीज़ और प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस कम खनन लीज़ शामिल हैं। एक्ट केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह राज्य सरकार की सलाह से नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समयावधि निर्दिष्ट करे।[69] अगर राज्य सरकार इस अवधि में नीलामी प्रक्रिया को पूरी नहीं करती तो यह नीलामी केंद्र सरकार कर सकती है।

  ड्राफ्ट नियमों में प्रावधान है कि जहां केंद्र सरकार नीलामी करती है, तो राज्य सरकार पर लागू नियम केंद्र सरकार पर भी लागू होंगे, जो निम्नलिखित से संबंधित हैं: (i) नीलामी की पूर्व शर्तें, (ii) कनसेशंस हासिल करने के लिए आवेदकों की पात्रता, (iii) इलेक्ट्रॉनिक नीलामी की शर्तें, (iv) नीलामी में बोली लगाने के मानदंड और (v) बोली लगाने की प्रक्रिया।

ड्राफ्ट नियमों पर 14 मई, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

ऊर्जा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

ड्राफ्ट बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) (संशोधन) नियम, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित

ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) (संशोधन) नियम, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित की थीं (समय सीमा 30 अप्रैल, 2021)।[70] इन नियमों में बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 में सोलर रूफ टॉप सिस्टम्स के प्रोज्यूमर्स से संबंधित कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।[71] प्रोज्यूमर्स उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो ग्रिड से बिजली लेते हैं और ग्रिड में बिजली डालते भी हैं। 2020 के नियमों में उपभोक्ताओं के अधिकारों और बिजली वितरण के विभिन्न पहलुओं (जैसे कनेक्शन देना, मीटरिंग और बिलिंग) पर बिजली वितरण लाइसेंसी की बाध्यताएं निर्दिष्ट की गई हैं।[71] प्रस्तावित मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रोज्यूमर्स की मीटरिंग**: 2020 के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि ग्रिड इंटरएक्टिव रूफ टॉप

सोलर फोटोवॉलटेइक सिस्टम और संबंधित मामलों के रेगुलेशंस में निम्नलिखित प्रावधान होने चाहिए: (i) 10 किलोवॉट तक के लोड्स की नेट मीटरिंग, और (ii) 10 किलोवॉट से अधिक के लोड्स की ग्रॉस मीटरिंग।[71]

- ड्राफ्ट नियमों में प्रस्ताव है कि राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोगों को नेट मीटरिंग/ग्रॉस मीटरिंग/नेट बिलिंग/नेट फीड-इन पर रेगुलेशंस जारी करने चाहिए। अगर रेगुलेशंस नेट मीटरिंग/ग्रॉस मीटरिंग/नेट बिलिंग/नेट फीड-इन का प्रावधान नहीं करते तो राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुमतियां दी जा सकती हैं: (i) 500 किलोवॉट तक के लोड्स या एक स्वीकृत लोड तक (जो भी कम हो) के लिए प्रोज्यूमर्स की नेट मीटरिंग, और (ii) दूसरे लोड्स के लिए नेट बिलिंग या नेट-फीड इन।[70]
- नेट मीटरिंग उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें बिलिंग रीटेल टैरिफ के आधार पर नेट एनर्जी (ग्रिड से उपयोग की जाने वाली बिजली घटा ग्रिड में डाली जाने वाली बिजली) के लिए की जाती है। ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग के मामले में बिजली के उपभोग को रीटेल टैरिफ के आधार पर बिल किया जाता है और ग्रिड में डाली जाने वाली बिजली को फीड-इन टैरिफ के आधार पर एकाउंट किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त राज्य आयोग नेट बिलिंग के बजाय वितरण लाइसेंसी को कुल उत्पादित सोलर एनर्जी बेचने के इच्छुक प्रोज्यूमर के लिए ग्रॉस मीटरिंग की अनुमति दे सकते हैं। ग्रॉस मीटरिंग के लिए फीड इन टैरिफ संबंधित आयोगों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।[70]
- **बिजली उपभोग या बिल की गई राशि का समायोजना**: वर्तमान में प्रोज्यूमर द्वारा उत्पादित बिजली को उपभोग की गई बिजली या बिल की गई राशि से समायोजित किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग में से क्या लागू है।[71]
- ड्राफ्ट नियमों में प्रस्ताव है कि प्रोज्यूमर द्वारा उत्पादित सोलर एनर्जी को उपभोग की गई बिजली या बिल की गई राशि से समायोजित किया जाएगा। यह ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग के रेगुलेशंस के आधार पर किया जाएगा।[70]

वितरण कंपनियों में एनर्जी ऑडिट के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी

ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बिजली वितरण कंपनियों में एनर्जी ऑडिट (एकाउंटिंग) के तरीके और अंतराल) रेगुलेशंस, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं।[72] एनर्जी ऑडिट किसी भवन या सिस्टम में ऊर्जा संरक्षण की समीक्षा और विश्लेषण को कहते हैं। ड्राफ्ट रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:[72]

- **एनर्जी ऑडिट की समय सीमा**: प्रत्येक बिजली वितरण कंपनी को रेगुलेशंस की अधिसूचना की तारीख से चार महीने के भीतर पहला एनर्जी ऑडिट करना चाहिए। बाद के वर्षों में ऑडिट वित्तीय वर्ष के खत्म होने के तीन महीने के भीतर होना चाहिए। दो ऑडिट्स के बीच अधिकतम अंतर 12 महीने का हो सकता है।
- **एनर्जी ऑडिट का तरीका और रिपोर्ट का स्वरूप**: ड्राफ्ट रेगुलेशंस में निर्दिष्ट किया गया है कि एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में निम्नलिखित होना चाहिए: (i) एनर्जी इनपुट्स और विभिन्न वोल्टेज स्तरों के उपभोग के पैटर्न्स की निगरानी का प्रावधान, (ii) बिजली की लीकेज, बर्बादी या अकुशल उपयोग के क्षेत्रों को चिन्हित करना, (iii) अधिक घाटे वाले क्षेत्रों को चिन्हित करना और लक्ष्य आधारित सुधारात्मक उपाय निर्दिष्ट करना, और (iv) जरूरी कैपिसिटी एडीशंस के लिए नेटवर्क के ओवरलोडेड सेगमेंट्स को चिन्हित करना।

इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट रेगुलेशंस डेटा कलेक्शन, सत्यापन और बिजली वितरण से संबंधित संशोधनों के लिए कार्रवाई योजना की प्राथमिकता और तैयारी का विवरण प्रदान करते हैं। इन पर 30 मई, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

ड्राफ्ट राष्ट्रीय बिजली नीति, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित

ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट राष्ट्रीय बिजली नीति, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[73] ड्राफ्ट 2021 नीति के लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बिजली के स्वच्छ और सतत उत्पादन को बढ़ावा देना, (ii) पर्याप्त और दक्ष ट्रांसमिशन प्रणाली का विकास, (iii) डिस्कॉम्स को सशक्त करना, और (iv) बिजली के लिए कुशल बाजारों का विकास। ड्राफ्ट नीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अक्षय ऊर्जा शुल्क**: ड्राफ्ट नीति ने सुझाव दिया है कि भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसमें सुझाव दिया गया है कि अक्षय ऊर्जा के कुछ स्रोतों (जैसे वायु और सौर) के लिए टू पार्ट टैरिफ प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। टू पार्ट टैरिफ प्रणाली का मतलब है, निर्धारित और परिवर्तनीय शुल्क वाला टैरिफ। इससे हाइब्रिड ऑपरेशंस के लिए अक्षय ऊर्जा की मध्यम अवधि या लंबी अवधि की खरीद में विशेष रूप से मदद मिल सकती है।
- **ट्रांसमिशन**: ड्राफ्ट नीति में सुझाव दिया गया है कि ट्रांसमिशन प्रॉजेक्ट्स को दो वर्गों में बांटा जाना चाहिए: (i) उत्पादक या ड्राइंग कस्टमर विशिष्ट प्रॉजेक्ट्स (उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए), और (ii) सिस्टम को मजबूत करने वाले प्रॉजेक्ट्स। सिस्टम को मजबूत करने वाले प्रॉजेक्ट्स को बिजली की उच्च उपलब्धता और निम्न मांग वाले क्षेत्र से बिजली की अधिक मांग और कम आपूर्ति वाले क्षेत्र में ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **वितरण**: नीति में सुझाव दिया गया है कि वितरण क्षेत्र के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले मॉडल (जैसे फ्रेंचाइजी और सब लाइसेंसी) को अपनाया जा सकता है। इससे निम्नलिखित में मदद मिल सकती है: (i) दक्षता और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करना, और (ii) वितरण कंपनियों के वित्तीय घाटों में कमी।
- **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर**: ड्राफ्ट नीति में कहा गया है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तेजी से नहीं अपनाया जा सका है। उसने सुझाव दिया कि ईवी चार्जिंग के शुल्क और नियमों को संबंधित राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसने सुझाव दिया कि वितरण कंपनियों को वितरण नेटवर्क के उस हिस्से को चिन्हित करना चाहिए जिसे ईवी चार्जिंग के कार्यान्वयन के लिए मजबूती देने की जरूरत है।

ड्राफ्ट नीति पर 18 मई, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

नवीन और अक्षय ऊर्जा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

उच्च दक्षता वाले सोलर मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी

कैबिनेट ने उच्च दक्षता वाले सोलर फोटो वॉल्टेइक (पीवी) मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी।[74] कार्यक्रम उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के मैन्यूफैक्चरर्स को प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव देगा। योजना का लक्ष्य आयात निर्भरता को कम करना है। योजना के अंतर्गत मैन्यूफैक्चरर्स को पारदर्शी प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा। चुनींदा मैन्यूफैक्चरर्स को मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट की कमीशनिंग के बाद पांच वर्षों के लिए इनसेंटिव दिया जाएगा। मॉड्यूल की दक्षता और स्थानीय वैल्यू एडिशन के बढ़ने के साथ इनसेंटिव भी बढ़ा दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत कुल परिव्यय 4,500 करोड़ रुपए अनुमानित है।

विज्ञान और तकनीक

Saket Surya (saket@prsindia.org)

ड्राफ्ट राष्ट्रीय जियोस्पेशियल नीति पर टिप्पणियां आमंत्रित

विज्ञान एवं तकनीक विभाग ने ड्राफ्ट जियोस्पेशियल नीति, 2021 को पब्लिक फीडबैक के लिए जारी किया है।[75] नीति का लक्ष्य जियोस्पेशियल डेटा, प्रॉडक्ट्स, सॉल्यूशंस और सेवाओं के विकास और उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। जियोस्पेशियल डेटा के उदाहरणों में व्यक्तियों के लोकेशन की जानकारी, मोबिलिटी डेटा, प्राकृतिक वस्तुओं या घटनाओं, जैसे मौसमी प्रवृत्तियां और भूकंपीय पैटर्न्स के लोकेशन और विशेषताएं शामिल हैं। ड्राफ्ट नीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर**: ड्राफ्ट नीति में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर देश के मानचित्रों को पूरा और अपडेट करने के लिए एक व्यवस्था तैयार करना बहुत जरूरी है। सर्वे ऑफ इंडिया पूरे देश के लिए हाई रेज़ोल्यूशन वाला टोपोग्राफिक डेटाबेस तैयार करेगा। यह डेटाबेस लोगों को उनके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से किसी दूसरी तरह का जियोस्पेशियल डेटा, प्रॉडक्ट या सेवा भी आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- **कोऑर्डिनेशन कमिटी**: 2006 में स्पेशियल डेटा की उपलब्धता और एक्सेस के लिए नेशनल स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (एनएसडीआई) कार्यक्रम को शुरू किया गया था। एनएसडीआई कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए एपेक्स अथॉरिटी के तौर पर नेशनल स्पेशियल डेटा कमिटी (एनएसडीसी) बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय को दी गई थी। एनएसडीसी में शिक्षा जगत के अलावा विभिन्न मंत्रालयों और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके बाद इस कमिटी का पुनर्गठन किया गया और इसे जियोस्पेशियल डेटा संवर्धन और विकास कमिटी (जीडीपीडीसी) नाम दिया गया। जीडीपीडीसी का मुख्य कार्य राष्ट्रीय जियोस्पेशियल नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखना है।
- **नेशनल डेटा रजिस्ट्री**: जीडीपीडीसी को कॉमनली एक्सेसिबल रिसोर्स के तौर पर जियोस्पेशियल डेटा की नेशनल रजिस्ट्री के रूप में स्थापित और ऑपरेट किया जाएगा। रजिस्ट्री जियोस्पेशियल डेटा इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यूइंग और प्रोसेसिंग सर्विस प्रदान करेगी।
- **डेटा थीम्स**: जीडीपीडीसी प्राथमिक विषयों (डेटा थीम्स) को चिन्हित करेगी जिसके लिए जियोस्पेशियल डेटा का समन्वित विकास और वितरण लाभकारी होगा। डेटा थीम्स के उदाहरणों में भूमि उपयोग और भूमि क्षेत्र, खनिज संकेंद्रण, और मृदा प्रोफाइल शामिल हैं। जीडीपीडीसी ऐसे डेटा थीम्स के लिए मानदंड स्थापित करेगी। एक या एक से अधिक केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसी उस डेटा थीम के लिए मुख्य पार्टनरिंग एजेंसी के तौर पर निर्दिष्ट की जाएगी। लीड एजेंसी उस डेटा थीम के लिए डेटा, तकनीकी और मानव संसाधन सहयोग के प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी।

ड्राफ्ट नीति पर टिप्पणियां 22 मई, 2021 तक आमंत्रित हैं।

सड़क परिवहन

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

ओनर की मृत्यु के बाद नॉमिनी को वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण करने वाला संशोधन अधिसूचित

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट, 1988 के अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधनों को अधिसूचित किया।[76] संशोधन ओनर की मृत्यु के बाद उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण का प्रावधान करते हैं। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **रजिस्ट्रेशन**: संशोधित नियमों में कहा गया है कि हर वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नॉमिनी, अगर निर्दिष्ट है, का विवरण और पहचान का प्रमाण होना चाहिए। अगर कोई वाहन सार्वजनिक नीलामी में खरीदा गया है तो उसके स्वामित्व के हस्तांतरण में भी ऐसे ही विवरण होने चाहिए।
- **स्वामित्व का हस्तांतरण**: इससे पहले नियमों में यह प्रावधान था कि मृत ओनर का उत्तराधिकारी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में आवेदन के जरिए स्वामित्व का हस्तांतरण करवा सकता है।[77] नए संशोधनों में वाहन के ओनर द्वारा नामांकित व्यक्ति को ऐसे ही आवेदन के जरिए स्वामित्व के हस्तांतरण की अनुमति है। नामित व्यक्ति को इस प्रक्रिया के लिए वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उल्लिखित पहचान का प्रमाण देना होगा।
- **ई-रिक्शा और ई-कार्ट्स**: संशोधित नियम कहते हैं कि मृत व्यक्ति से वाहन के ओनरशिप के हस्तांतरण के दौरान, ई-रिक्शा और ई-कार्ट्स के मामले में नॉमिनी को ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट दिखाना होगा। यह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस जैसे अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त होगा।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम में विभिन्न ड्राफ्ट संशोधन जारी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट, 1988 के अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में ड्राफ्ट संशोधन जारी किए हैं।[78,79,80,81] एक्ट मोटर वाहनों के मानदंडों, ड्राइविंग लाइसेंस देने, और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा संबंधी प्रावधान करता है।[82]

नई वाहन रजिस्ट्रेशन प्रणाली प्रस्तावित

एक ड्राफ्ट संशोधनों का सेट भारत में आईएन सीरिज रजिस्ट्रेशन मार्क को वैध करता है ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहनों की री-लोकेटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के नियमों को सरल बनाया जा सके।[83] यह मार्क निम्नलिखित को उपलब्ध होगा: (i) केंद्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारी, (ii) रक्षा कर्मचारी, और (iii) निजी क्षेत्र की कंपनियों के उन कर्मचारियों को, जिनके कार्यालय पांच से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। इस मार्क के आवेदन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को वैध पहचान पत्र दिखाना होगा, जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को वर्किंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है।[78]

आईएन सीरिज मार्क वाले गैर परिवहन वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स वसूला जाएगा, जोकि जीएसटी को हटाकर वाहन की इनवॉयस कीमत पर आधारित होगा। इनवॉयस की कीमत के आधार पर यह 8% से 12% के बीच होगा। डीजल के वाहनों पर 2% अधिक शुल्क वसूला जाएगा। इस मार्क के साथ रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 2% टैक्स छूट मिलेगी।

ड्राफ्ट संशोधनों पर 6 मई, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस का रेगुलेशन

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस को मान्यता देने, उनके रेगुलेशन और नियंत्रण के लिए ड्राफ्ट संशोधनों को प्रस्तावित किया गया है। इन संशोधनों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस (एटीएस) में राज्य

सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त सभी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस शामिल हैं जहां फिटनेस टेस्टिंग की जाती है। ड्राफ्ट संशोधनों में यह भी प्रस्तावित है कि एटीएसज़ सिर्फ टेस्टिंग की सुविधा देंगे और रीपेयर, बिक्री या ऑटो पार्ट्स का निर्माण नहीं करेंगे। इनमें एटीएस को चलाने की शर्तें भी दी गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी शर्तें, जैसे लेन एरिया, टेस्टिंग उपकरण और डिजिटल क्षमता, (ii) मैनेजर, टेक्नीशियन और ऑपरेटर्स इत्यादि के लिए न्यूनतम शर्तें और अहर्ता, और (iii) इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशंस। हर एटीएस के लिए निगरानी और कामकाज के पीरिऑडिक ऑडिट को भी प्रस्तावित संशोधनों में पेश किया गया है। ड्राफ्ट संशोधन हर एटीएस के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि वह फिटनेस सर्टिफिकेट देने से पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करे। ड्राफ्ट संशोधन एटीएस के टेस्ट के नतीजे के खिलाफ अपील करने की प्रक्रिया भी निर्धारित करते हैं। ड्राफ्ट संशोधनों में प्रस्तावित फीस में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एटीएस बनाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पांच लाख रुपए, (ii) एटीएस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उसे रीन्यू करने के लिए 50,000 रुपए, और (iii) किसी टेस्टिंग स्टेशन के नतीजों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 2,000 रुपए।

ड्राफ्ट संशोधनों पर 8 मई, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

स्पेशनल पर्पज वेहिकल और अन्य वाहनों के लिए शर्तों का अनुपालन

ड्राफ्ट संशोधन विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए स्पेशल पर्पज वेहिकल को ऑल्टरेशंस और कंस्ट्रक्शन वाले वाहनों के तौर पर परिभाषित करने का प्रस्ताव रखते हैं।[78] ड्राफ्ट संशोधनों में यह भी कहा गया है कि कुछ वाहनों को संशोधनों की अधिसूचना के छह महीने के भीतर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स (एआईएस) का अनुपालन करना चाहिए। इन वाहनों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्पेशल पर्पज वेहिकल्स, (ii) आग रोकने वाले टू व्हील्ड वेहिकल्स, और (iii) मोटर कैरावैन (लिविंग अकमोडेशन के लिए बने वाहन)। इनसुलेटेड वाहनों को प्रस्तावित संशोधनों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर एआईएस के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

ड्राफ्ट संशोधनों पर 23 मई, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

सड़क की स्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए नेटवर्क सर्वे वाहनों का इस्तेमाल अनिवार्य

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी (एनएचएआई) ने सड़क की स्थितियों के सर्वेक्षण के लिए नेटवर्क सर्वे वाहनों (एनएसवीज़) के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है ताकि बेहतर अनुरक्षण किया जा सके।[84] एनएसवीज़ को निम्नलिखित के लिए रोड इनवेंटरी और डेटा के ऑटोमैटिक कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है: (i) सड़क की सतह, (ii) फुटपाथों की स्थितियां, और (iii) रोड फर्नीचर। एनएसवीज़ के इस्तेमाल को प्रॉजेक्ट के पूरा होने पर और हर छह महीने में किया जाना अनिवार्य किया गया है। एनएसवीज़ द्वारा जमा किए गए डेटा को एनएचएआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और उसका विश्लेषण रोड एसेट मैनेजमेंट सेल द्वारा किया जाएगा।

शहरी मामले

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

शहरों में सार्वजनिक परिवहन और स्वस्थ भोजन को मजबूती देने वाली पहल का आरंभ

आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरों में सार्वजनिक परिवहन तथा स्वस्थ एवं सतत रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थों को मजबूती देने के लिए दो नए चैलेंज को शुरू किया।[85] ये चैलेंज निम्नलिखित के लिए हैं: (i) स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत चिन्हित शहर, (ii) सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां, और (iii) पांच लाख लोगों से अधिक की

आबादियों वाले सभी शहर।[85] इनकी चर्चा नीचे की गई है:

- **ईट स्मार्ट चैलेंज**: यह चैलेंज शहरों के बीच है, जोकि ईट राइट इंडिया अभियान के अंतर्गत पहल करने का प्रयास करेंगे। यह अभियान स्वच्छ, स्वस्थ और सतत खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले इस्टैबलिशमेंट्स और एंटिटीज़ को मान्यता देकर स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।[86] इसके अतंर्गत पहल में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) फूड हब्स के क्लस्टर सर्टिफिकेशंस और फूड इस्टैबलिशमेंट्स की हाइजीन रेटिंग, (ii) सुरक्षित पैकेजिंग, और (iii) स्कूल्स और दूसरे परिसरों के लिए सर्टिफिकेशन। चैलेंज के पहले चरण में शहरों को एक विजन डॉक्यूमेंट को विकसित करना होगा। दस शहरों को अपनी रणनीतियों को लागू करने के लिए वित्त पोषण और तकनीकी सहयोग मिलेगा।[87]
- **टी4ऑल चैलेंज**: इस चैलेंज में डिजिटल इनोवेशन के जरिए सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और सस्ता बनाने का प्रयास किया जाएगा।[88] प्रतिभागी शहर को एक टास्क फोर्स बनानी होगी जिसमें स्टेकहोल्डर्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, (ii) स्मार्ट सिटीज़ मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी, (iii) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, (iv) यातायात पुलिस और (v) शिक्षण संस्थान और गैर सरकारी संगठन।[85] चैलेंज के अंतर्गत: (i) शहरों द्वारा सतत परिवहन में समस्याओं को चिन्हित किया जाएगा, (ii) स्टार्टअप्स स्टेकहोल्डर्स के इनपुट्स की मदद से प्रोटोटाइप सॉल्यूशंस विकसित करेंगे, और (iii) नागरिकों के फीडबैक के आधार पर सॉल्यूशंस को रीफाइन करने के लिए बड़े पैमाने पर पायलट टेस्टिंग मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा।

कार्मिक और प्रशिक्षण

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

लोक सेवाओं के क्षमता निर्माण के लिए क्षमता निर्माण आयोग का गठन

कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) के अंतर्गत क्षमता निर्माण आयोग का गठन किया है।[89] एनपीसीएससीबी लोक सेवाओं के सदस्यों के लिए एक क्षमता निर्माण योजना है।[90] इसके मुख्य सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) लोक सेवकों की क्षमताओं और पद की जरूरतों के आधार पर उन्हें काम सौंपना, (ii) 'ऑफ साइट' लर्निंग के हिसाब से 'ऑनसाइट लर्निंग' पर जोर देना, और (iii) लोक सेवा के सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं के ढांचे में कैलिब्रेट करना।[90]

आयोग में चेयरपर्सन और दो सदस्य होंगे। आयोग की मुख्य जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं के लिए तैयारियों में समन्वय करना, (ii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, शिक्षाशास्त्र और योग्यता ढांचे के मानकीकरण पर सुझाव देना, और (iii) लोक सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों के बीच साझा संसाधनों के निर्माण की सुविधा देना।[89]

[1] Ministry of Health and Family Welfare website, last accessed on March 31, 2020, https://www.mohfw.gov.in/index.html.

[2] Order No 40-3/2020-DM I (A), Ministry of Home Affairs, April 29, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_29042021.pdf.

[3] Order No 40-3/2020-DM I (A), Ministry of Home Affairs, March 23, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_23032021.pdf.

[4] "Government of India announces a Liberalised and Accelerated Phase 3 Strategy of Covid-19 Vaccination from 1st May", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, April 19, 2021.

[5] "Day 45- next Phase of COVID19 Vaccination commences", Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, March 1, 2021.

[6] "Covid Vaccination Beneficiaries", Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, March 19, 2021.

[7] Twitter, Ministry of Health and Family Welfare, March 24, 2021, last accessed on March 31, 2021, https://twitter.com/MoHFW_INDIA/status/1374639742499708930.

[8] "The National Regulator grants Permission for Restricted Use in Emergency Situations to Sputnik-V vaccine", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, April 13, 2021.

[9] DBT-BIRAC Supported 'Virafin' from Zydus Gets Emergency Nod For Treating Moderate COVID-19 Infections In Adults, Press Information Bureau, Ministry of Science and Technology, April 24, 2021.

[10] Revised guidelines for Home Isolation of very mild/pre-symptomatic/asymptomatic COVID-19 cases, Ministry of Health and Family Welfare, July 2, 2020, https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedHomeIsolationGuidelines.pdf.

[11] "NBM -- an industry-Academia Collaborative Mission for accelerating biopharmaceutical development", Press Information Bureau, Ministry of Science and Technology, March 13, 2020.

[12] "Augmentation of Manufacturing Capacity for COVAXIN production under Mission COVID Suraksha", Press Information Bureau, Ministry of Science and Technology, April 16, 2021.

[13] Order No. 40-3/2020-DM-I (A), Ministry of Home Affairs, Government of India, April 22, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHADMAct_22042021.pdf.

[14] Order No. 40-6/2020-DM-I (A), Ministry of Home Affairs, Government of India, April 23, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/DOStates_23042021.pdf.

[15] S.O. 1441 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, April 1, 2021, https://morth.nic.in/sites/default/files/notifications_document/SO%201441%28E%29%20dated%201st%20April%2C%202021%20permit%20exemption%20for%20transport%20of%20oxygen.pdf.

[16] The Motor Vehicles Act, 1988, Ministry of Road Transport and Highways, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/9460/1/a1988-59.pdf.

[17] Order No. 40-6/2020-DM-I (A), Ministry of Home Affairs, Government of India, April 25, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDMAct_25042021.pdf.

[18] Order No. 40-3/2020-DM-I (A), Ministry of Home Affairs, Government of India, April 26, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAordertoexemptfewindustries_26042021.pdf.

[19] D.O. No. 40-6/2020-DM-I (A), Ministry of Home Affairs, Government of India, April 23, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHADOletterStates_23042021.pdf.

[20] "Union Home Minister, Shri Amit Shah has reviewed the situation arising out of sharp rise in COVID-19 cases and directed various measures to augment the supply of oxygen for medical purposes", Press Information Bureau, Ministry f Home Affairs, April 23, 2021.

[21] "Major Ports waive-off all charges for ships carrying oxygen and oxygen related equipment cargo", Press Information Bureau, Ministry of Ports, Shipping, and Waterways, April 25, 2021.

[22] CG-DL-E-24042021-226746, Gazette of India, Ministry of Finance, April 24, 2021, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226746.pdf.

[23] CG-DL-E-11042021-226507, Gazette of India, Ministry of Commerce and Industry, April 11, 2021, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226507.pdf.

[24] CG-DL-E-20042021-226703, Gazette of India, Ministry of Finance, April 20, 2021, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226703.pdf.

[25] "DoPT issues guidelines for strict compliance by Ministries/Departments of the Central government in the wake COVID-19 situation", Press Information Bureau, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, April 19, 2021, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1712751.

[26] Revised guidelines for Home Isolation of mild /asymptomatic COVID-19 cases, Ministry of Health and Family Welfare, April 28, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedguidelinesforHomeIsolationofmildasymptomaticCOVID19cases.pdf.

[27] "Additional free-of-cost foodgrains to be distributed to NFSA Beneficiaries under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana in May and June 2021", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, April 23, 2021.

[28] "Statement on Development and Regulatory Policies", Press Releases, Reserve Bank of India, April 7, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR17BA6FA1DA8797467D98600A50F0917A12.PDF.

[29] "Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) launches another funding scheme to help the distressed MSME sector", Press Information Bureau, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, June 24, 2020.

[30] "Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD) extended up to 30.09.2021", Press Information Bureau, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, , April 1, 2021.

[31] DOR.BP.BC.No.64/21.02.067/2019-20, Reserve Bank of India, April 17, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/218DIVIDENDRESTRICTIONS16D2C5C385314D1FA7298158408DF196.PDF.

[32] DOR.ACC.REC.7/21.02.067/2021-22, Reserve Bank of India, April 22, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/DIVIDEND960388A4AF8A487FA518489D433DB564.PDF.

[33] Domestic flight operations – updation of guidelines, Ministry of Civil Aviation, April 12, 2021, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC041221-04122021142613.pdf.

[34] Order No. 02/2020, Ministry of Civil Aviation, May 21, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/MoCA_Order_No_02_2020_dated_classification_and_fare_bands.pdf

[35] Order No. 18/2021, Ministry of Civil Aviation, April 24, 2021, https://twitter.com/DGCAIndia/status/1386626226094182408/photo/2.

[36] Order No. 1/2020, Ministry of Civil Aviation, May 21, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC052220-05222020133918.pdf.

[37] Order No. 17/2021, Ministry of Civil Aviation, April 24, 2021, https://twitter.com/DGCAIndia/status/1386625959894257670/photo/2.

[38] "Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) April 5-7, 2021", Press Releases, Reserve Bank of India, April 7, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1686FA91F0B6A84EA1AB57CCA8CB190914.PDF.

[39] "CPI Index Current Series (Base 2012) - Jan'2013 onwards", Website of Ministry of Statistics and Programme Implementation, as accessed on April 20, 2021, http://164.100.34.62:8080/TimeSeries_2012.aspx.

[40] "Index Files for WPI Series (Base: 2011-12)", Website of the Office of the Economic Advisor, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, as accessed on April 20, 2021, https://eaindustry.nic.in/download_data_1112.asp.

[41] G.S.R. 266 (E), The Gazette of India, Ministry of Finance, April 13, 2021, https://financialservices.gov.in/sites/default/files/226640.pdf.

[42] G.S.R. 115 (E), The Gazette of India, Ministry of Finance, February 19, 2015, https://irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/frmGeneral_Layout.aspx?page=PageNo2440&flag=1.

[43] The Insurance (Amendment) Bill, 2021, https://prsindia.org/billtrack/the-insurance-amendment-bill-2021.

[44] G.S.R. 314 (E), The Gazette of India, Ministry of Finance, March 16, 2016, https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_2_33_00044_193804_1523351752525&type=rule&filename=Indian%20Insurance%20Comapnies%20(Froeign%20Investment)%20Amendment%20Rules,%202016%20dated%2016.3.2016.pdf.

[45] "Reserve Bank of India constitutes a Committee on functioning of Asset Reconstruction Companies (ARCs) and review of regulatory guidelines applicable to them", Press Releases, Reserve Bank of India, April 19, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR78ARCECF32315D9134EB4A066AA84D54BA2FB.PDF.

[46] "Committee on Asset Reconstruction Companies invites views and suggestions from stakeholders", Press Releases, Reserve Bank of India, April 28, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1221034FC5EFCBD4835BB857AF9CBCD973E.PDF.

[47] "Statement on Development and Regulatory Policies", Press Releases, Reserve Bank of India, April 7, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR17BA6FA1DA8797467D98600A50F0917A12.PDF.

[48] "Constitution of the Regulations Review Authority 2.0", Press Releases, Reserve Bank of India, April 15, 2021, https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=51421.

[49] The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2021, Ministry of Finance, https://prsindia.org/files/bill_track/2021-04-04/IBC%20Ordinance%202021.pdf.

[50] "Union Cabinet approves Production Linked Incentive (PLI) Scheme for White Goods (Air Conditioners and LED Lights)", Press Information Bureau, Cabinet, April 7, 2021.

[51] CG-DL-E-16042021-226671, Gazette of India, Ministry of Commerce and Industry, April 16, 2021, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226671.pdf.

[52] The Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2021, Ministry of Law and Justice, April 22, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226716.pdf.

[53] The Indian Medicine Central Council Act, 1970, December 21, 1970, https://legislative.gov.in/sites/default/files/48%20of%201970.pdf.

[54] The Indian Medicine Central Council (Amendment) Act, 2020, Ministry of Law and Justice, September 25, 2020, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/Indian%20Medicine%20Central%20Council%20(Amendment)%20Act,%202020.pdf.

[55] The Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2020, Ministry of Law and Justice, April 24, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/219138.pdf.

[56] "Long Range Forecast for the 2021 Southwest Monsoon Season Rainfall", Press Release, India Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, April 16, 2021, https://internal.imd.gov.in/press_release/20210416_pr_1073.pdf.

[57] "2020 Southwest Monsoon End of Season Report", Press Release, India Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, December 20, 2020, https://internal.imd.gov.in/press_release/20201220_pr_963.pdf.

[58] "End of Season Report for the 2019 Southwest Monsoon", Press Release, India Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, January 31, 2020, https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/season_report.php.

[59] G.S.R. 261(E)., Ministry of Labour and Employment, April 15, 2021, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226628.pdf.

[60] The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, https://labour.gov.in/sites/default/files/OSH_Gazette.pdf.

[61] "Ministry of Labour & Employment set up Expert Committees for suggesting standards under the OSH&WC Code, 2020", Press Information Bureau, Ministry of Labour and Employment, April 1, 2021.

[62] The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2020, Ministry of Law and Justice, October 28, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222804.pdf.

[63] G.S.R. 285 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, April 22, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226711.pdf.

[64] File No: M.VI-16/97/2020-Mines VI, "The Minerals (Evidence of Mineral Contents) Amendment Rules, 2021", Ministry of Mines, April 23, 2021,

https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/EvidencofMineralAmendmentRules2021.pdf.

[65] G.S.R. 304 (E), The Gazette of India, Ministry of Mines, April 17, 2015, https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_15_16_00002_195767_1517807322197&type=rule&filename=Minerals(EvidenceofContents)Rules,2015.pdf.

[66] File No: M.VI-16/97/2020-Mines VI, "The Mines (Auction) Second Amendment Rules, 2021", Ministry of Mines, April 23, 2021, https://mines.gov.in/writereaddata/UploadFile/MineralAuctionSecondAmendmentRules23042021.pdf.

[67] G.S.R. 406 (E), The Gazette of India, Ministry of Mines, May 20, 2015, https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_15_16_00002_195767_1517807322197&type=rule&filename=Mineral%20(Auction)%20Rules,%202015.pdf.

[68] G.S.R. 1469 (E), The Gazette of India, Ministry of Mines, November 30, 2017, https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_CEN_15_16_00002_195767_1517807322197&type=rule&filename=The%20Mineral%20(Auction)%20Amendment%20Rules,%202017.pdf.

[69] Section 10B, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

[70] Draft Electricity (Rights of Consumers) (Amendment) Rules, 2021, Ministry of Power, April 9, 2021, https://powermin.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Draft_Electricity_Right_of_Consumers.pdf.

[71] G.S.R. 818 (E), Ministry of Power, December 31, 2020, https://powermin.gov.in/sites/default/files/uploads/Consumers_Rules_2020.pdf.

[72] No. 18/1/BEE/DISCOM/2021, Ministry of Power, April 15, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226666.pdf.

[73] Preparation of Draft National Electricity Policy 2021, Ministry of Power, April 27, 2021, https://powermin.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Inviting_suggestions_on_draft_NEP_2021_0.pdf.

[74] "Cabinet approves Production Linked Incentive scheme National Programme on High Efficiency Solar PV Modules", Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, April 7, 2021.

[75] Draft National Geospatial Policy, 2021, Department of Science and Technology, April 2021, https://dst.gov.in/draft-national-geospatial-policy-2021-public-consultation.

[76] G.S.R. 277 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, April 8, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226675.pdf.

[77] Central Motor Vehicles Rules, 1989, Ministry of Road Transport and Highways, https://cdn.s3waas.gov.in/s33dc4876f3f08201c7c76cb71fa1da439/uploads/2018/05/2018051237.pdf.

[78] G.S.R. 276 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, April 6, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226674.pdf.

[79] G.S.R. 278 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, April 8, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226680.pdf.

[80] G.S.R. 276 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, April 6, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226674.pdf.

[81] G.S.R. 287 (E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, April 23, 2021, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226755.pdf.

[82] Motor Vehicles Act, 1988, Ministry of Road Transport and Highways, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1798/1/AAA1988___59.pdf.

[83] "Re-registration rules proposed to be made simpler for passenger vehicles, while re-locating from one state to another", Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, April 28, 2021.

[84] "NHAI to Make Network Survey Vehicle Use Mandatory for Road Condition Survey", Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, April 13, 2021.

[85] "Eatsmart Cities Challenge and Transport 4 All Challenge Launched", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, April 15, 2021.

[86] About Eat Right India, Food Safety and Standards Authority of India, last accessed on April 25, 2021, https://eatrightindia.gov.in/eatrightindia.jsp.

[87] EatSmart Cities Challenge, Eat Right India, Food Safety and Standards Authority of India, last accessed on April 25, 2021, https://eatrightindia.gov.in/eatsmartcity/home.

[88] Transport4All, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, last access on April 25, 2021. https://smartnet.niua.org/transport4all/.

[89] F. No. T-16017/09/2020-iGOT, Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances And Pensions, April 1, 2021, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226356.pdf.

[90] "Cabinet approves "Mission Karmayogi" – National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB)", September 2, 2020, Press Information Bureau, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।